रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 4, 2007/आश्विन 12, 1929

No. 448] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2007/ASVINA 12, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 643(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 50) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासकीय मुद्रा में और लेखन सामग्री पर भारत के राज्य संप्रतीक के प्रयोग और उसके डिजाइन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का नाम भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत और भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर भी होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 50) अभिप्रेत है;

(ख) "संप्रतीक" से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित भारत का राज्य संप्रतीक अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(घ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

3. **शासकीय मुद्रा का डिजाइन.**—(1) शासकीय मुद्रा के डिजाइन में अंडाकार या गोल विरचना में संलग्न संप्रतीक होगा ।

(2) विरचना के आंतरिक और बाहरी घेरों के बीच मंत्रालय या कार्यालय का नाम उपदर्शित होगा ।

(3) जहां किसी मंत्रालय या कार्यालय का पूरा नाम रखा जाना संभव नहीं है, वहां उसके नाम का संक्षिप्त रूप अंकित किया जा सकेगा ।

4. **राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अंगीकार करना.**—(1) कोई राज्य सरकार संप्रतीक को, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शासकीय संप्रतीक के रूप में अंगीकार कर सकेगी ।

(2) जहां कोई राज्य सरकार, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में, संप्रतीक या उसके किसी भाग का सम्मिलित करने

का प्रस्ताव करती है, वहां वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसा करेगी और डिजाइन तथा अभिन्यास को केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित कराएगी :

परन्तु जहां किसी राज्य सरकार ने, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक या उसका भाग पहले से ही सम्मिलित किया हुआ है, वहां वह इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, संप्रतीक का प्रयोग जारी रख सकेगी ।

5. **शासकीय मुद्रा में प्रयोग.**—शासकीय मुद्रा में संप्रतीक का प्रयोग, अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित होगा ।

6. **लेखन सामग्री पर प्रयोग.**—(1) शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग, पूर्वोक्त अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित रहेगा ।

(2) संप्रतीक, जब शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर मुद्रित या समुद्भृत किया जाए तो वह ऐसी लेखन सामग्री के शीर्ष के मध्य में सुस्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा ।

7. **वाहनों पर संप्रदर्शन.**—वाहनों पर संप्रतीक का प्रयोग अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित होगा।

8. **सरकारी भवनों पर संप्रदर्शन.**—(1) संप्रतीक को, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय सचिवालय भवन जैसे अति महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा ।

(2) संप्रतीक को, उन राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के राजभवन या राज निवास और राज्य विधान मंडल, उच्च न्यायालयों और सचिवालय भवनों पर भी संप्रदर्शित किया जा सकेगा, जिन्होंने संप्रतीक को अंगीकार किया है या जिन्होंने राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में, संप्रतीक को सम्मिलित किया हुआ है ।

(3) संप्रतीक को, विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन के परिसरों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा और मिशनों के प्रमुख अपने प्रत्यायन के देशों में अपने निवास स्थानों पर संप्रतीक को संप्रदर्शित कर सकेंगे ।

(4) संप्रतीक को, विदेशों में भारत के कौंसलावास द्वारा अधिभोग किए गए भवनों पर, उनके प्रवेश द्वारों पर और उनके प्रत्यायन के देशों में कौंसलीय पदों के प्रमुखों के निवास स्थानों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा ।

9. **विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग.**—इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संप्रतीक का प्रयोग अनुसूची-III में यथानिर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा ।

10. **संप्रतीक के प्रयोग पर निर्बंधन.**—(1) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति (जिसके अंतर्गत भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व संसद सदस्य, विधान सभाओं के भूतपूर्व सदस्य, भूतपूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी जैसे सरकार के भूतपूर्व कृत्यकारी भी हैं) किसी भी रीति में, संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किए गए से भिन्न कोई आयोग या समिति, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, बैंक, नगरपालिका परिषद्, पंचायतराज संस्था, परिषद्, गैर-सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय किसी भी रीति में सप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(3) कोई संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, किसी रीति में अपने लेटरहेडों, पुस्तिकाओं, आसनों, कलगी, बैज, हाउस फ्लैगों पर या किसी अन्य प्रयोजन के लिए संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(4) ऐसी लेखन-सामग्री पर, जिसके अंतर्गत लैटरहेड, परिचय-कार्ड और बधाई कार्ड भी हैं, जो ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ लेखन सामग्री पर इन नियमों के अधीन संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं, अधिवक्ता, संपादक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे शब्द नहीं होंगे ।

11. **संप्रतीक के प्रयोग को निर्बंधित करने वाली दशाएं और शर्तें.**—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के शीर्षक में या किसी व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन में संप्रतीक या उससे मिलती-जुलती नकल का प्रयोग नहीं करेगा या उसका प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा :

परन्तु कोई व्यक्ति श व्यक्ति समूह, संगम, निकाय, निगम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके द्वारा आयोजित किसी समारोह के संबंध में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग के साथ संयुक्त रूप से किसी प्रकाशन के संबंध में संप्रतीक का प्रयोग कर सकेगा।

12. **संप्रतीक के डिजाइन की उपलब्धता.**—(1) संप्रतीक के फोटो ग्राफिक डिजाइन प्रबंधक, फोटोलिथो खण्ड, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली में उपलब्ध हैं और उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं ।

(2) संप्रतीक के मानक, ढाई का नमूना, मुख्य नियंत्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री, नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है ।

अनुसूची-I

(नियम 5 और 6 देखें)

संविधानिक या कानूनी प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग, राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और अन्य सरकारी कृत्यकारी, जो संप्रतीक का प्रयोग कर सकेंगे ।

(i) राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघ का कोई मंत्री ;

(ii) राज्यपाल, उप-राज्यपाल, प्रशासन, यदि, यथास्थिति, संप्रतीक को उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अंगीकार किया गया है या उसके संप्रतीक में उसे सम्मिलित किया गया है ;

(iii) भारत की संसद का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(iv) न्यायाधीश और न्यायपालिका के कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(v) योजना आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी;

(vi) भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(vii) भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(viii) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य और संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(ix) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और कार्यालय तथा उनके अधिकारी ;

(x) विदेशों में राजनयिक मिशन और उनके अधिकारी ;

(xi) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री और मंत्री, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

(xii) संसद सदस्य और यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यों की विधान सभाओं या विधान परिषदों के सदस्य ;

(xiii) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के मंत्रालय, विभाग और कार्यालय और उनके अधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

(xiv) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभाओं या विधान परिषदों के कार्यालय और अधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

(xv) संसद के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आयोग और प्राधिकरण ;

(xvi) राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित या राज्य सरकार द्वारा स्थापित आयोग और प्राधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

स्पष्टीकरण : इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, "अधिकारी" पद से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का कोई राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है।

अनुसूची II

(नियम 7 देखें)

भाग 1

सांविधानिक प्राधिकारी और अन्य उच्चाधिकारी, जो अपनी कारों पर संप्रतीक संप्रदर्शित कर सकेंगे

(i) राष्ट्रपति भवन की कारें, जब निम्नलिखित उच्चाधिकारी या उनके पति या पत्नी ऐसे वाहनों में यात्रा कर रहे हों :

(क) राष्ट्रपति,

(ख) विदेशी राज्यों के प्रमुख अतिथि,

(ग) विदेशी राज्यों के अतिथि, उप-राष्ट्रपति या समतुल्य प्रास्थिति के उच्चाधिकारी,

(घ) विदेशी सरकारों के प्रमुख अतिथि या किसी विदेशी राज्य के राजकुमार या राजकुमारी जैसे समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,

(ङ) राष्ट्रपति की कार के पीछे चलने वाली अतिरिक्त कार ;

(ii) उप-राष्ट्रपति की कार, जब वह या उसका पति या उसकी पत्नी ऐसे वाहन में यात्रा कर रहे हों ;

(iii) राजभवन और राज निवासों की कारें, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में उसे सम्मिलित किया गया है, जब संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे वाहनों द्वारा निम्नलिखित उच्चाधिकारी या उनके पति या पत्नी यात्रा कर रहे हों :

(क) राष्ट्रपति,

(ख) उप-राष्ट्रपति,

(ग) राज्य का राज्यपाल,

(घ) संघ राज्यक्षेत्र का उप-राज्यपाल,

(ङ) विदेशी राज्यों के प्रमुख अतिथि,

(च) विदेशी राज्यों के अतिथि उप-राष्ट्रपति या समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,

(छ) विदेशी सरकारों के प्रमुख अतिथि या समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,

(iv) भारत के राजनयिक मिशनों के प्रमुखों द्वारा प्रत्यायन के देश में उपयोग की जाने वाली कारें और परिवहन के अन्य साधन ;

(v) विदेश में भारत के काउंसेल के प्रमुख द्वारा प्रत्यायन के देश में उपयोग की जाने वाली कारें और परिवहन के अन्य साधन ;

(vi) विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा रखी जाने वाली कारें, जब उनका उपयोग भारत में आए हुए कैबिनेट मंत्रियों और उससे उच्च रैंक के विदेशी उच्चाधिकारियों और समारोह के अवसर पर भारत में प्रत्यायित राजदूत की ड्यूटी में किया जा रहा हो।

भाग 2

प्राधिकारी, जो अपनी कारों पर तिकोनी धातु की पट्टिका पर अशोक चक्र (जो संप्रतीक का भाग है) संप्रदर्शित कर सकेंगे :

(i) प्रधान मंत्री और संघ के मंत्रियों, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापति की कारें, जब वे भारत में कहीं भी यात्रा कर रहे हों ;

(ii) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की कारें, अपने-अपने राज्यक्षेत्र के भीतर ;

(iii) राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों, राज्यों के राज्य मंत्रियों, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उप-सभापति, विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों (उप-मंत्रियों को छोड़कर) और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की कारें जब वे, यथास्थिति, अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर यात्रा कर रहे हों (यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है।

अनुसूची III

(नियम 9 देखें)

अन्य प्रयोजन जिनके लिए संप्रतीक प्रयोग किया जा सकेगा

(i) विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों के परिचय कार्ड ;

(ii) विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों द्वारा भेजे गए बधाई कार्ड ;

(iii) सरकार के सरकारी प्रकाशन ;

(iv) सरकार द्वारा निर्मित फिल्म और वृत्तचित्र ;

(v) स्टाम्प पेपर ;

(vi) सरकारी विज्ञापन, बैनर, पुस्तिकाएं, बोर्ड आदि ;

(vii) कलगी, फ्लैग, आसन ऐसे उपांतरण के साथ, जो आवश्यक हों ;

(viii) सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, अनुज्ञप्तियां, परमिट आदि ;

(ix) सरकार की वेबसाइट ;

(x) भारत सरकार की टकसालों या मुद्रणालयों द्वारा जारी सिक्के, करेंसी नोट, वचनपत्र और डाक टिकट ;

(xi) सरकार द्वारा संस्थित मेडल, प्रमाणपत्र और सनद ;

(xii) सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र ;

(xiii) राष्ट्रपति भवन, राज-भवनों, राज निवासों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों या केन्द्रों में प्रयोग में आने वाले प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कांच के बर्तन, चीनी के बर्तन व छुरी कांटे ;

(xiv) (क) संघ के सशस्त्र बलों के कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारियों ;

(ख) संघ और ऐसी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों की वर्दी वाली सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों, जिसने उस राज्य या संघराज्य क्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक अंगीकृत किया है या उसमें संप्रतीक सम्मिलित किया है ;

(ग) राष्ट्रपति भवन और विदेशों में भारतीय मिशन और पदों के प्राधिकृत कर्मचारिवृंदों ; की गणवेश पर ऐसे उपांतरणों के साथ, जो आवश्यक हों, बैज, कालर बटन आदि ;

(xv) विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें, इतिहास, कला या संस्कृति की पुस्तकें या संप्रतीक के उद्गम, महत्व या अंगीकार करने को स्पष्ट करने या उसका दृष्टांत देने के प्रयोजन के लिए किसी अध्याय, धारा आदि के पाठ के भाग रूप में किसी नियतकालिक पत्रिका में :

परन्तु संप्रतीक ऐसे प्रकाशन के मुख्य पृष्ठ, शीर्षक या आवरण पर प्रयोग नहीं किया जाएगा जिससे कि यह धारणा बनाई जा सके कि यह सरकारी प्रकाशन है।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए "सरकार" के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन हैं जिसने, यथास्थिति, संप्रतीक अंगीकृत किया है या उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया है।

[फा. सं. 13/9/2006-पब्लिक]

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव